UPBJ010051992026

न्यायालय–सत्र न्यायाधीश, बिजनौर।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्याः–1887/2026

अभी, पंकज, कपिल व राजू बनाम सरकार

मुकदमा अपराध संख्याः–192/2026
धारा–109(1), 115(2), 352, 351(3), 3(5), 324(4), 191(1), 191(2), 333 बी0एन0एस0
थाना–स्योहारा, जनपद बिजनौर।

17–06–2026

1– यह जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अभियुक्तगण अभी पुत्र सतीश, पंकज पुत्र राजू, कपिल पुत्र राकेश व राजू पुत्र राजेश, निवासीगण मौ0 सोमवार का बाजार बाल्मिकी बस्ती, कस्बा व थाना स्योहारा, जिला बिजनौर की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 192/2026, अन्तर्गत धारा 109(1), 115(2), 352, 351(3), 3(5), 324(4), 191(1), 191(2), 333 बी0एन0एस0, थाना स्योहारा, जनपद बिजनौर के प्रकरण में जमानत प्रदान किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। उपरोक्त जमानत प्रार्थना पत्र शपथ पत्र मिनजानिब सेवक पुत्र राजेश द्वारा समर्थित है। अभियुक्तगण जिला कारागार में निरूद्ध है।

2– जमानत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीगण–अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना तथा उपलब्ध प्रपत्रों का परिशीलन किया।

3– संक्षेप में अभियोजन कथानक है कि वादी मुकदमा रवि सिहॅ द्वारा थाना स्योहारा पर घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट इस आशय की लिखायी गई कि दिनॉक 23.05.2026 को समय करीब 11:30 बजे, उसके छोटे भाई भारत सिहॅ के बच्चो की नरेश के बच्चो के साथ कहा सुनी हो गई थी। इसी रंजिश को लेकर जयपाल सिहॅ, अर्जुन सिहॅ, लक्की, अभी, पंकज, कपिल व राजू ने धारदार हथियार, लाठी डंडे लेकर मॉ बहन की गन्दी गन्दी गालियॉ देते हुए उसके घर में घुसकर, उसकी भाभी सुमन देवी को जान से मारने की नीयत से धारदार हथियारो से जानलेवा हमला कर दिया जिससे सुमन के गंभीर खुली चोट आयी। उसे बचाने के लिए छोटे भाई स्व0 सुरेश की पत्नी किरन व अन्य लोग आ गये तो सभी ने एक राय होकर किरन देवी व रिश्तेदार हरिदास के साथ भी गाली गलौच की और जान से मारने की नीयत से लाठी डंडो से मारपीट की और घर के सामान में तोडफोड करते हुए जान से मारने की धमकी देकर घर से बाहर आ गये तथा सुमन के साथ सतीश, राजू ने भी अभद्र व्यवहार किया। सुमन देवी व हरिदास की हालत को सरकारी अस्पताल के डाक्टरो ने नाजुक देखते हुए जिला अस्पताल, बिजनौर के लिए रेफर कर दिया। जहॉ उनकी हालत नाजुक बनी हुई है।

4– प्रार्थीगण–अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि प्रार्थीगण निर्दोष है। उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया है। उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। उन्हें रंजिश के आधार पर झूठा फसाया गया है। उपरोक्त वाद के चुटैलों के साधारण चोटे है। धारा 109 (1) बी0एन0एस0 का अपराध नहीं बनता है। शेष सभी धारायें मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। प्रस्तुत वाद के वादी पक्ष की ओर से प्रार्थीगण के साथ भी मारपीट की गयी है जिसमें प्रार्थीगण पक्ष के दो लोग सतीश व राजू के भी गंभीर चोटें आयी है। उनका भी परीक्षण हुआ है। उनका क्रॉस वर्जन है। जमानत के स्तर पर यह निर्धारण नहीं किया जा सकता कि कौन सा पक्ष अधिक अग्रसर है। प्रार्थीगण के विरूद्व कोई विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है। प्रार्थीगण दिनॉक 24–05–2026 से जिला कारागार में निरूद्व है तथा दौराने मुकदमा अपनी उचित जमानत देने को तैयार हैं। अतः प्रार्थीगण–अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

5– विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते

हुये तर्क किया गया कि अभियुक्तगण द्वारा एक राय होकर सामान्य आशय के अग्रसारण में धारदार हथियार व लाठी–डंडे लेकर वादी के घर में घुसकर बल्वा करते हुए वादी पक्ष के लोगों को गाली गलौच करते हुए जान से मारने की नीयत से मारपीट करते हुए प्राण–घातक चोटे पहुॅचायी तथा घर में तोडफोड करते हुए जान से मारने की धमकी दी गयी है। अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने पर बल दिया गया है।

6– अभियुक्तगण के विरूद्व सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर धारदार हथियार व लाठी–डंडे लेकर वादी के घर में घुसकर बल्वा करने, जान से मारने की नीयत से मारपीट करते हुए प्राण–घातक चोटे पहुॅचाने व घर में तोडफोड कर रिष्टि कारित किए जाने का आरोप है। अभियुक्तगण की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि वादी पक्ष के व्यक्तियो द्वारा भी प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के साथ भी मारपीट की गयी थी जिसमें प्रार्थीगण पक्ष के दो लोग सतीश व राजू को वादी पक्ष के लोगों से अधिक चोटे आयी है। उनका क्रॉस केस है। केस डायरी के अवलोकन से विदित होता है कि वादी पक्ष की ओर से उक्त घटना में हरिदास व सुमन को चोटे आना कथित किया गया है जिनकी आघात आख्या व पूरक आघात आख्या केस डायरी में संलग्न है जिनके अवलोकन से विदित होता है कि चुटैल सुमन व हरिदास को साधारण प्रकृति की चोटे आना उल्लिखित किया गया है जबकि अभियुक्तगण की ओर से वादी पक्ष के व्यक्तियो विरूद्व पंजीकृत क्रास केस की चिक एफ0आई0आर0, चुटैल राजू व सतीश की आघात आख्यायें, प्रस्तुत की गयी है जिसमें अभियुक्तगण की ओर से भी वादी मुकदमा पक्ष के व्यक्तियो के विरूद्व अभियोग पंजीकृत कराया जाना तथा अभियुक्तगण पक्ष को भी चोटे दर्शित है। अभियुक्तगण का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास होना नहीं बताया गया है। अभियुक्तगण को दिनांक 24–05–2026 से जिला कारागार में निरूद्ध होना बताया गया है।

7– अतः अपराध की प्रकृति एवं मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये, मामले के गुणदोष पर कोई टीका–टिप्पणी किये बिना अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है। तद्नुसार अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्तगण **अभी, पंकज, कपिल व राजू** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 192/2026, अन्तर्गत धारा 109(1), 115(2), 352, 351(3), 3(5), 324(4), 191(1), 191(2), 333 बी0एन0एस0, थाना स्यो. हारा, जनपद बिजनौर के प्रकरण में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रत्येक अभियुक्त द्वारा अंकन एक लाख रुपये की दो जमानतें तथा इसी धनराशि का व्यक्तिगत बन्धपत्र निम्न शर्तों के अधीन दाखिल व निष्पादित करने पर, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर जमानत पर रिहा किया जाए–

1–अभियुक्तगण किसी प्रकार के अपराध में संलिप्त नहीं रहेगें।

2–अभियुक्तगण विवेचना में सहयोग करेगें।

3–विचारण प्रारम्भ होने पर अभियुक्तगण प्रत्येक तिथि पर न्यायालय में उपस्थित रहेगें।

4–अभियुक्तगण अभियोजन साक्षियों को प्रभावित नहीं करेगें तथा साक्षी के न्यायालय में उपस्थित आने पर अनावश्यक रूप से स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करेगें।

(प्रशांत मित्तल)
प्रभारी
सत्र न्यायाधीश, बिजनौर।

Digitally signed by PRASHANT MITTAL
Date: 2026.06.17 16:53:41 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court